क्रमांक 341 / दर अनु.–2010 / बो.प्र. / 2016 / 3485

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, दिनांक 23 / ~~06~~ 04 / 2026

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
2. समस्त अधीक्षण अभियंता
3. समस्त कार्यपालन अभियंता

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– 01 अगस्त 2010 से प्रभावशील जल संसाधन विभाग की दर अनुसूची (SOR) की दरों में संशोधन करने बाबत्।

———

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग में दिनांक 01.08.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची (एस.ओ.आर) में दिनांक 22.08.2022 से विभिन्न चेप्टर में प्रतिशत आधार पर वृद्धि की गयी थी।

1. दिनांक 01.05.2025 से विभाग में नवीन दर अनुसूची प्रभावशील की गयी जिसमें शामिल आयटम की दरों में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। इन दरों में दिनांक 08.08.2025 से 15% की कमी गयी है। विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जिस एसओआर की दरों पर प्राप्त होगी, उनकी निविदायें उसी एसओआर पर आमंत्रित की जावेंगी।

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश क्र. EComp- No-: 176308/FINACC-36 / 2978 / 2025 / ब–4 / चार, नवा रायपुर, दिनांक 16 / 12 / 2025 के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु GST Payment System एवं Royalty Clearance Certificate संबंधी वर्तमान व्यवस्था में एकरूपता लाने PAC निर्धारण हेतु ऐसे सभी SOR जिनमें कर / GST सम्मिलित है, की दरों में 18% की कटौती की जाए, ताकि अंतिम चरण में लागू GST जोड़कर ही उपयुक्त अनुमानित लागत प्राप्त की जा सके। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरें GST के बिना (Excluding GST) मानी जाएँगी तथा GST का भुगतान ठेकेदार को पृथक रूप से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिनांक 01.04.2026 से की जाने वाली समस्त निविदाओं में GST Payment System एवं Royalty Clearance Certificate हेतु एक समान मानक प्रक्रिया लागू किया जाना है।

3. विभाग में कई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति / पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.08.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची (एस.ओ.आर) (अद्यतन संशोधनों 2022 तक) के आधार पर प्राप्त हुयी है।

4. अतः उपरिवर्णित निर्देशों के परिपालन में विभाग की दिनांक 01.08.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची (एस.ओ.आर) में दिनांक 22.08.2022 प्रतिशत आधार पर की गयी वृद्धि को संशोधत करते हुये दर अनुसूची से GST दर पृथक कर, दर अनुसूची 2010 (एस.ओ.आर) के चेप्टरों/अध्यायों की दरों में अंतरिम रूप से निम्नानुसार प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की जाती है, जो इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगीः–

स. क्र.	चेप्टर क्रमांक	वृद्धि का प्रतिशत (GST छोड़कर)
1.	चेप्टर क्र. 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 चेप्टर क्र. 16 चेप्टर क्र. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 चेप्टर क्र. 42 एवं 43	10%
2.	चेप्टर क्र. 9, 10, 13 एवं 41	40%
3.	चेप्टर क्र. 11 एवं 12 चेप्टर क्र. 14 एवं 15 चेप्टर क्र. 17, 18 एवं 19 चेप्टर क्र. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एवं 40 चेप्टर क्र. 44	27%

5. उक्त प्रतिशत आधार पर तैयार किये गये प्राक्कलन में प्रचलित GST दर (वर्तमान में 18%) जोड़ कर प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। निविदायें बिना जीएसटी के आमंत्रित की जावेंगी तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरें GST के बिना (Excluding GST) होगी तथा GST का भुगतान ठेकेदार को पृथक से किया जाएगा।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

.....2

पृ. क्र. 341 / दर अनु.–2010 / बो.प्र. / 2016 /   नवा, रायपुर दिनांक   / 04 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, पो.आ. – विधानसभा, रायपुर 492005
4. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), तीसरा ब्लाक, प्रथम तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
5. तकनीकी कक्ष / सामान्य कक्ष / बजट कक्ष / निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

सहपत्र : निरंक।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)